

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-उनि/सशि/एफ-501/निशु/पापु/2025-26/पार्ट फाईल

दिनांक—यथा हस्ताक्षर

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।

विषय:-शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों के वितरण बाबत आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रसंग:-राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर का पत्रांक एफ-4/बिक्री/रारापाम/2025 रेफरेन्स नं. 15486151 दिनांक - 22.05.2025

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु राजकीय विद्यालयों व मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 01 से 08 तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 09 से 12 तक की समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समस्त छात्रों तथा वे छात्र जिनके अभिभावक आयकर दाता नहीं हैं, को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों उपलब्ध करवाई जानी है। शाला दर्पण पोर्टल पर पीईईओ/यूसीईओ (नोडल केन्द्र) की प्रविष्ट सूचना के आधार पर इस कार्यालय द्वारा प्रेषित मांग के अनुरूप, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, द्वारा अनुबंधित परिवहन संवेदकों के माध्यम से पीईईओ/यूसीईओ विद्यालयों तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाना है।

निर्धारित नोडल (पीईईओ/यूसीईओ) केन्द्रों पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों पहुंचाने का कार्यक्रम पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर द्वारा दिनांक 20.06.25 से प्रस्तावित है। इस कार्यालय द्वारा प्रेषित मांग के आधार पर राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर द्वारा जारी आवंटन के अनुसार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्रभारी, पाठ्य पुस्तक मण्डल के संबंधित जिला डिपो प्रभारी से समन्वय स्थापित कर मण्डल के वितरण केन्द्रों पर उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों को ब्लॉक प्रभारियों के माध्यम से पीईईओ/यूसीईओ केन्द्रों तक वितरण कार्य योजना शीघ्र तैयार कर इस कार्यालय को दिनांक 13.06.25 तक सूचित करते हुए निर्धारित अवधि में वितरण करवाया जाना सुनिश्चित करें। पाठ्य पुस्तकों का वितरण प्रथम चरण दिनांक 20.06.25 से 07.07.25 तक की अवधि में ही पूर्ण करें। प्रथम चरण की समाप्ति उपरांत वितरण केन्द्रों में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता अनुसार द्वितीय चरण निर्धारित किया जाएगा।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के समयबद्ध व सुगम वितरण के दृष्टिगत नोडल केन्द्रवार तिथि शीघ्र निर्धारित करते हुए रूट चार्ट पाठ्य पुस्तक मण्डल के जिला डिपो प्रभारी को उपलब्ध करावें। उपर्युक्तानुसार निर्धारित दो चरणों में ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कार्य सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।

पूर्व सत्रों की भाँति प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति एवं वितरण का प्रबोधन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार प्रभारी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा :-

- मण्डल स्तर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के सुचारू और व्यवस्थित वितरण हेतु मण्डल प्रभारी के रूप में अधीनस्थ समस्त सहायक निदेशक, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से समन्वय रखते हुए कार्य करेंगे।
- जिला स्तर पर सहायक निदेशक, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के व्यवस्थित वितरण हेतु जिला प्रभारी के रूप में अधीनस्थ समस्त अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय) एवं पाठ्य पुस्तक मण्डल के जिला डिपो प्रभारी से समन्वय करते हुए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समयबद्ध एवं व्यवस्थित वितरण करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- ब्लॉक स्तर पर अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय), कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के सुचारू और व्यवस्थित वितरण हेतु ब्लॉक प्रभारी के रूप में जिला प्रभारी अधिकारी (सहायक निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय) एवं अधीनरथ पीईईओ/यूसीईओ से समन्वय रखते हुए कार्य करेंगे।
- पाठ्य पुस्तक मण्डल के जिला डिपो से पीईईओ/यूसीईओ व विद्यालय तक प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति एवं वितरण की प्रविष्ट तत्काल शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में की जानी सुनिश्चित करेंगे।
- डिपों से जारी चालानों पर जारी तिथि में ही प्राप्ति एवं प्रतिहस्ताक्षर की प्रक्रिया सम्बंधित द्वारा पूर्ण की जावे। इस कार्य में विलम्ब ना होवे।

शैक्षिक सत्र 2025–26 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के सुव्यस्थित वितरण के लिए अग्राकिंत बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जाए :-

- विद्यार्थियों को शैक्षिक सत्र 2024–25 के अध्ययन उपरान्त, अंक तालिका वितरण के साथ ही उनसे उक्त सत्र में वितरित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को प्राप्त कर बुक बैंक मे जमा की जावे।
- राजकीय विद्यालयों मे अध्ययनरत कक्षा 01 से 03 के समस्त विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जावे।
- कक्षा 04 से 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा गत सत्र की अध्ययन उपरान्त लौटाई गई पाठ्य पुस्तकों के 50 प्रतिशत का पुनः उपयोग करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को 50 प्रतिशत नई एवं 50 प्रतिशत पुरानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जावे।
- जिला स्तरीय वितरण केन्द्रों से निर्धारित नोडल (पीईईओ/यूसीईओ) केन्द्रों तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का परिवहन कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा अनुबंधित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से करवाया जाना है, जबकि वितरण कार्य पूर्व निर्धारित अनुसार ब्लॉक प्रभारी, मुख्य/अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय) द्वारा किया जाना है। व्यवस्थित और निर्धारित समयावधि मे वितरण हेतु जिला डिपो/वितरण केन्द्र पर सीबीईओ/एसीबीईओ द्वारा ही उनके अधीनस्थ पीईईओ/यूसीईओ प्रभारी की मौजूदगी मे पुस्तकें प्राप्त की जानी हैं।
- जिस नोडल विद्यालय के माध्यम से अधीनस्थ विद्यालयों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग की गई है, उन विद्यालयों को वितरण भी उसी नोडल विद्यालय द्वारा किया जाएगा। मध्य सत्र में नोडल विद्यालय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- रूट चार्ट में निर्धारित अनुसार प्रथम चरण मे ही समस्त नोडल केन्द्रों द्वारा निर्धारित तिथि पर ही पुस्तके प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा इसे कार्य के प्रति लापरवाही माना जाएगा। विशेष परिस्थितियों में किसी भी बदलाव के संबंध में मण्डल मुख्यालय/निदेशालय को अवगत करवाए।

ध्यान रहे कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना के साथ ही समयबद्ध कार्यक्रम है। अतः उक्त कार्य निर्धारित अवधि में सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण किया जावे।

(आशीष मोदी)

आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक राजस्थान, बीकानेर एवं  
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ),  
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

- निजी सचिव, शासन सचिव स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- निजी सचिव, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
- सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक/ प्रारंभिक।
- समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- प्रभारी अधिकारी शाला दर्पण प्रकोष्ठ, बीकानेर एवं जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक राजस्थान, बीकानेर एवं  
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ),  
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

Document certified by ASHISH MODI  
<ASHISHMODI.KGP@GMAIL.COM>

Digital Signature of Ashish  
Modi  
Designation : Director  
Date : 27-05-2025 09:51:33